

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आदेश सं. 10/2013/अकाद/नि.स./2013/1263

दिनांक:- 10.5.17

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2017-18 (एक वर्ष) के लिए स्नातक उत्तर पर संचालित संकाय/विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम व पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
समानस्य महाविद्यालय, जयपुर रोड, आगाजी, जिला-अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	कला संकाय- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र

- संस्था सत्र 2018-19 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में भी 0.10% से 0.20% से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सौदों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि स्वामत्त्व आवश्यक करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा रवीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा धृवीर्ता योग्यताधारी प्राचार्य व अध्यापता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जाना होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करवायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करवायेगी।
- संस्था को पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dee.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहस्रभूमि शर्तों के अधीन में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा को आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट उपाय, राज0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अभिषेक मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, अलवर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
5. सम्बन्धित संस्था, महाविद्यालय।